मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::

// आदेश //

भोपाल, दिनांकः 04/02/2019

क्रमांकःएफ.17–30/2016/38–1–विभाग के आदेश दिनांक 20/05/2016 द्वारा डॉ0 एम0के0 मिश्रा, प्राचार्य, शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर म0प्र0 के द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण में सहयोग नहीं करने एवं न्यायलयीन कार्य में संलग्न कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर आपरेटर को हटाना एवं महाविद्यालय में दूरभाष तथा इन्टरनेट सुविधा बंद करवा देना तथा तृतीय एवं चतुर्थ कर्मचारियों के यात्रा देयक बिल भी कोषालय में बिलम्ब में प्रस्तुत करने की स्वैच्छाकारिता के कारण निलंबित किया गया तथा निलंबन उपरांत इनका मुख्यालय शासकीय महाविद्यालय, रामपुरा, नीमच नियत किया गया। डॉ0 एम0के0 मिश्रा, निलंबित प्राचार्य को विभाग के पत्र दिनांक 21/07/2016 द्वारा आरोप–पत्र इत्यादि दिये गये। जिसका दिनांक 10/10/2016 द्वारा डॉ0 एम0के0 मिश्रा, निलंबित प्राचार्य ने अपना प्रतिउत्तर विभाग को प्रस्तुत किया गया।

2/ डॉ0 एम0के0 मिश्रा, निलंबित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, रामपुरा जिला नीमच ने निलंबन से बहाल किये जाने का अनुरोध किया गया। डॉ0 मिश्रा से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार करते हुये विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 05/02/2018 द्वारा निलंबन से बहाल करते हुये डॉ0 मिश्रा को शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शिवपुरी पदस्थ किया गया, किन्तु इनके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही या विभागीय जॉच संस्थित नहीं की गई हैं।

3/ विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 05/10/2018 द्वारा डॉ0 एम0के0 मिश्रा, प्राचार्य, शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर के विरूद्ध प्रचलित जांच प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया हैं।

4/ डॉ0 एम0के0 मिश्रा, प्राचार्य ने दिनांक 20/05/2016 से दिनांक 05/02/2018 तक को सभी प्रयोजनों हेतु नियमित शासकीय सेवा मानते हुए उक्त अवधि के शेष एवं स्वत्वों का भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया हैं।

अतः राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश मूलभूत नियम 54–बी के प्रावधानों के अंतर्गत डॉ0 डॉ0 एम0के0 मिश्रा, प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शिवपुरी के निलंबन अवधि दिनांक 20/05/2016 से दिनांक 05/02/2018 तक को मूलभूत नियम 54–बी के अंतर्गत कर्तव्य अवधि मान्य करते हुये उक्त अवधि के शेष वेतन–भत्ते (जीवन निर्वाह भत्ता के समायोजन कर) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान करता हैं ।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

4-2-19
(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

2/–

पृ0 क्रमांकः एफ.17—30/2016/38—1 भोपाल, दिनांकः 04/02/2019

प्रतिलिपि :—

1/ स्टॉफ ऑफीसर, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2/ महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
3/ आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल म0प्र0
4/ क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ग्वालियर संभाग ग्वालियर म0प्र0
5/ जिला कोषालय अधिकारी, जिला जबलपुर/शिवपुरी म0प्र0।
6 / प्राचार्य, शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर म0प्र0
7/ प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शिवपुरी म0प्र0
8/ डॉ0 एम0के0 मिश्रा, प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शिवपुरी म0प्र0
9/ आर्डर बुक ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

4-2-19
अवर सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग